इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 16/06/2017 मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहें संयुक्त अभियान के क्रम में महाराणा प्रताप चौराहे से बेली अस्पताल तक नाले–नाली एवं सड़क पटरी पर स्थित स्थाई व आस्थाई अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान 01 टीन सेड, 02 बांस बल्ली से बना टट्टर 02 रैम्प, 01 ठेला, 01 गुमटी,, 01 ग्रीनरी हटवाया गया। नगर निगम द्वारा रूपया 42.000,00 का जुर्माना भी वसूला गया ।

इस कार्यवाही में प्राधिकरण की ओर से ओ0एस0डी0 श्री आलोक कुमार पाण्डेय, ए0सी0एम0, सी0ओ0 नगर मजिस्टेट,क्षेत्राधिकारी, नगर निगम से जोनल अधिकारी 1,4,व 5, नजूल विभाग के समस्त जिलेदार अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/ पी0ए0सी0 बल,एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

जोन संख्या–01 व 05 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे 03 चालान 03 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–02व 04 में 02 चालान, 13 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–03 व 06 में जोनल अधिकारी श्री सत,शुक्ला के नेतृत्व में 10 नोटिस निर्गत की गयी। कुल 05 चालान, 26 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपिः– सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेशित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःषुल्क प्रकाषित कराने का कश्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क